नवीन मण्डी स्थल,पीलीभीत के फल/सब्जी प्रखण्ड में नव निर्मित दुकानों की नीलामी/आवंटन सूचना

नवीन मण्डी स्थल, पीलीभीत के फल/सब्जी प्रखण्ड के ऐसे व्यापारीगण जिनको पूर्व मे मण्डी समिति,पीलीभीत द्वारा कोई दुकान आवंटित न हुई हो, ऐसे लाइसेंसधारी व्यापारियो को सूचित किया जाता है कि नवीन मण्डी स्थल पीलीभीत में नवनिर्मित 04 नग "स" श्रेणी की दुकानों का आवंटन/नीलामी दिनांक 12.01.2022 को समय प्रातः 10.00 बजे कलेक्टेट कार्यालय में जिलाधिकारी महोदय,पीलीभीत की अध्यक्षता में किया जायेगा। नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक फर्म को मण्डी समिति कार्यालय में रू0 295/– नगद जमा कर आवेदन पत्र प्राप्त कर तथा उसे पूर्ण रूप से भर कर आवेदन पत्र के साथ रू0 50,000/–(पचास हजार) पंजीकरण शुल्क धनराशि (बैंक ड्राफ्ट/नगद) के साथ दिनांक 31.12.2021 की साय 4.00 बजें तक मण्डी समिति,पीलीभीत के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। दुकानों के आवंटन में आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग–2 संख्या–5/2019/4/1/2002/का–2019 टी.सी.1 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त,2019 के शासनादेशों के अनुसार अनुमन्य है। सक्षम स्तर से आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र के प्रमाणित प्रति समिति को उपलब्ध करने पर ही आरक्षण का लाभ दिया जा सकेंगा। आवेदक को विगत तीन वर्षो (2018–19, 19–20,20–21) का मण्डी शुल्क प टर्न ओवर एवं यूजर चार्ज बर्ष (2020–21, 2021–22, 2022–23) का, आवेदन पत्र के साथ साफ एवं सही भर कर संलग्न करना अनिवार्य होगा। दुकान आवंटन/नीलामी में केवल फर्म के आवेदक अथवा उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि ही बोली प्रकिया में भाग ले सकते है। बोली स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार आवंटन कमेटी में निहित होगा। नीलामी की शर्ते किसी भी कार्य दिवस के कार्यावधि में देखी जा सकती।

क्र.स.	प्रखण्ड	दुकान की श्रेणी	कुल रिक्त दुकानों की सख्या	दुकानों का संख्यावार आरक्षण की स्थिति				न्यूनतम प्रीमियम (लाख मे)	पंजीकरण धनराशि (रू0 में)
				अनु.जाति	अन्य पिछडा वर्ग	अनारक्षित	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सब्जी प्रखण्ड	'स'	04	111	113	112	110	4.22	50,000/–

सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
पीलीभीत

नगर मजिस्ट्रेट/सभापति
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
पीलीभीत

कार्यालय कृषि उत्पादन मण्डी समिति,पीलीभीत

पत्रांक कृ0उ0म0स0/दु0आ0/2020–21/1037 दिनांक 18-12-21

प्रतिलिपि

1– विज्ञापन व्यवस्थापक,हिन्दी दैनिक समाचार पत्र हिन्दूस्तान एवं दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ कि उक्त सूचना अपने सम्मानित समाचार पत्र के आगामी अंक में न्यूनतम शासकीय दरों पर न्यूनतम स्थान में प्रकाशित कराते हुए भुगतान हेतु दो प्रतियों सहित समिति कार्यालय को प्रेषित/उपलब्ध करने का कष्ट करें।

2–उप निदेशक (प्र./वि.), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, बरेली/सदस्य आवंटन कमेटी।

3–उप निदेशक (निर्माण)राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद,बरेली/सदस्य आवंटन कमेटी।

4– सम्भागीय लेखाधिकारी मण्डी परिषद बरेली/सदस्य आवंटन कमेटी।

5– नजारत अधिकारी, पीलीभीत को इस आशय से कि दुकानों के आवंटन हेतु निर्धारित समय पर गांधी सभागार को आरक्षित रखने हेतु।

6– श्री प्रमोद सिंह, मण्डी सहायक को अधोलिखित कार्यालयों,नगर पालिका,कलेक्ट्रेट,तहसील एवं कार्यालय के नोटिस वोर्ड पर चस्पा करवाने हेतु।

18.12.21
सचिव
कृषि उत्पादन मण्डी समिति
पीलीभीत